



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161521

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26824 / 2026

किशोर अपराधी गोविंद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : सुनील कुमार दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार दुबे तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता डॉ. एस. बी. मौर्य को सुना गया।

2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 374 / 2025, धारा 103(1), 238ए, 3(5) बी.एन.एस. तथा धारा 4/25/27/35 शस्त्र अधिनियम, थाना चन्दौसी, जनपद सम्भल, में अवर न्यायालय में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया था। किंतु जांच के दौरान गवाह रामपाल एवं रमेश द्वारा दिए गए अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर आवेदक को सह-अभियुक्त सानोज तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ वर्तमान मामले में अभियुक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाया गया है। अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त सानोज को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14046 / 2026 में दिनांक 18.05.2026 को पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा आवेदक का मामला उसके समान स्थिति में है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक की आयु मुश्किल से 17 वर्ष है, उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 30.08.2025 से वर्तमान मामले में निरुद्ध है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

8. तथापि, आरोप के अनुसार आवेदक ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की, जो सूचनाकर्ता का भतीजा था तथा उसकी आयु मुश्किल से 14 वर्ष थी। किंतु आवेदक तथा एक अन्य सह-अभियुक्त भी 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग प्रतीत होते हैं।

9. आगे, यह भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के अतिरिक्त आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

10. आगे, सह-अभियुक्त सानोज तथा एक अन्य अभियुक्त, जो विधि-विरुद्ध बालक था, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा आवेदक का मामला उनके समान स्थिति में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह लगभग 12 माह से अभिरक्षा में है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक **किशोर अपराधी गोविंद** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य से की गई हैं। उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

दिनांक : 03 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंकिता

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।